न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 41/2019

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
हरिराम पुत्र अर्जुनराम जाति राईका निवासी मेवडा तहसील डेगाना जिला नागौर।		1सरकार जरिये तहसीलदार, डेगाना। 2पटवारी मेवडा।

उपस्थिति :–
1. श्री श्याम कुमार व्यास अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स की ओर से।

निर्णय दिनांक:29.11.2019

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, डेगाना द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 375/2018 सरकार बनाम हरिराम में निर्णय दिनांक 13.06.18 के तहत मौजा मेवडा के खसरा नं. 895 रकबा 0.02 हैक्ट. गै.मु. गोचर भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 24.04.19 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 10.06.19 को मियाद के बिन्दु पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलांट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में तहसीलदार डेगाना के निर्णय दिनांक 13.06.18 की फोटोप्रति, माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त अजमेर के मुकदमा सं. 39/17 के फर्द अहकाम दिनांक 14.7.17 से 28.3.18 तक की फोटोप्रति, माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त अजमेर मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की फोटोप्रति, मौजा मेवडा के नक्शे की फोटोप्रति, मौजा मेवडा के नक्शे की फोटोप्रति तथा ग्राम मेवडा जमाबंदी संवत 2067 से 2076 की फोटोप्रति पेश की। रेस्पोडेन्ट्स की ओर से श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय वकील उपस्थित हुए।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्धान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने विस्तृत जवाब प्रस्तुत किया था किन्तु उस जवाब को नजरअंदाज करते हुए तथा अपीलांट को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिये बगैर, बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये न्याय आपके द्वार शिविर मे अपीलांट की गैर मौजूदगी मे बिना सुनवाई किये आदेश जैर अपील पारित कर दिया। इस कारण आदेश की जानकारी अपीलांट को वक्त आदेश नही हो सकी। अभी हाल ही मे पटवारी मौके पर अपीलांट को बेदखल करने आया तब अपीलांट को आदेश की जानकारी हुई तब अपीलांट ने दूसरे दिन ही तहसील मे नकल हेतु आवेदन किया जो नकल प्राप्त होने पर अपीलांट को प्रथम बार निर्णय जैर अपील की जानकारी हुई। इससे पूर्व अपीलांट को निर्णय जैर अपील की जानकारी नही थी। प्रथम जानकारी से अपील अंदर मियाद पेश की है। न्याय हित मे अपील पेश करने मे हुई देरी को माफ किया जाना उचित व न्याय संगत है। जिसका राजकीय वकील द्वारा विरोध नही किया गया है। अतः मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए अपीलांट की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। वकील अपीलांट ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)–अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.06.18 पूर्णतया अवैध विधि विरूद्व एवं बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये पारित किया गया होने से निरस्तनीय है।

अपर कलक्टर, नागौर

{2}(II)–अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो एवं पत्रावली का अवलोकन किये बिना आदेश जैर अपील पारित किया है। जो निरस्तनीय है।

{2}(III)–अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने विस्तृत रूप से जवाब प्रस्तुत किया था। किन्तु उस जवाब को नजरअंदाज करते हुए तथा अपीलांट को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिये बगैर बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये आदेश जैर अपील पारित किया। जो निरस्तनीय है।

{2}(IV)–अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी मेवडा द्वारा प्रस्तुत अतिक्रमण की रिपोर्ट के संदर्भ मे हल्का पटवारी के बयान तक नही लिये। केवल मात्र टीपी रिपोर्ट को ही आधार मानकर बिना किसी प्रकार की जांच किये आदेश जैर अपील पारित किया है। जो निरस्तनीय है।

{2}(V)–विवादित भूमि गै.मु. आबादी मे स्थित है जो कि नक्शे मे आबादी के रूप मे तरमीम की हुई है एवं ग्राम पंचायत के अधीन आयी हुई है। इस प्रकार आबादी मे स्थित भूमि बाबत कार्यवाही करने का तहसीलदार को कानूनन क्षेत्राधिकार नही है। तहसीलदार केवल मात्र ग्राम पंचायत के आवेदन पर ही कार्यवाही कर सकते है अन्यथा नही। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अवैध व विधि विरूद्व ढंग से जो आदेश जैर अपील पारित किया है। जो निरस्तनीय है तथा अपने कथन के समर्थन मे आरआरडी 1980 पेज 34, आरआरटी 2006(1) पेज 272 से 273 तथा आरआरटी 2003(2) पेज 1303 से 1306 तक नजीरे पेश की।

{2}(VI)–विवादित भूमि गै.मु. आबादी मे स्थित है जहां अपीलांट का पक्का मकान बना हुआ है जो वर्षो से बना हुआ है, किसी प्रकार का नया अतिक्रमण अपीलांट द्वारा नही किया गया है। उक्त भूमि बाबत संभागीय आयुक्त अजमेर के समक्ष कार्यवाही पूर्व से ही विचाराधीन है। ऐसी स्थिति मे भी अधीनस्थ न्यायालय को उक्त विवादित भूमि बाबत कार्यवाही करने का विधिक अधिकार नही होने के बावजूद भी जो आदेश जैर अपील पारित किया है। जो निरस्तनीय है।

{3}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा मौजा मेवडा में स्थित गै.मु. गोचर भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके मेवडा के खसरा नंबर 895 रकबा 0.02 हैक्ट. गै.मु. गोचर भूमि पर अपीलांट का अतिक्रमण किया जाना अभिलेख से पाया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलांट का उपस्थित होना अभिलेख से साबित भी है। आराजी भूमि की किस्म गै.मु. गोचर है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील कायम रखा जाता है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अपर कलक्टर,
नागौर